

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

..... लाइलाश नमो बनाम मारुत वगो

क्रमां. ... ११११ - चौपटा न जुजही लिवा मुकदमा नं. F.T. 54 सन् २०१८
२०१८

क्रम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>22⁰⁵/¹⁸ वकील वादीगण श्री रामेश्वरलाल तेलवाल ने दायिग अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। उतिवादीगण की तलबी जारी समत की जाकर फावली दिनों 19/06/18 को पेश हो।</p> <p>19⁰⁶/¹⁸ फावली आज राजन लोड अदालत अतिमान न्याय आपडे इगार 2018 के नए क्रेम रमल अदल सेग डेस, निमेरा मे पेश हुके। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1111 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादीगण की पहचान श्री रामेश्वर लाल तेलवाल एड. ने तथा प्रतिवादी सं. 1111 की पहचान श्री बनवारी लाल जोर एड. ने की। उपस्थित पक्षधारण को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझ कर उपस्थित पक्षधारण इगार सहि होना स्वीकार किया गया। अतः हाजिरा पक्षधारण राजीनामा काद तबदीड शामिल फावली किया गया।</p> <p>वकील वादीगण ने मुनाबिउ राजीनामा दावा डिही फरमाया जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर अधिकारी तहसीलदार खण्डेला ने कोई आपत्ति जाहिर नही की।</p> <p>फावली, फावली पर उपलब्ध</p>	<p>लाइलाश बनवारी लाल</p> <p>रामेश्वर लाल</p> <p>रामेश्वर लाल</p> <p>रामेश्वर लाल</p> <p>रामेश्वर लाल</p> <p>रामेश्वर लाल</p>

राजस्थान रेकार्ड एवं राजीनामा का अपलोडन किया गया
जिनके अपलोडन से एवं लोक अदालत की भाषण
से वादीगण का वाप स्वीकार किया जाना है तथा
घोषणा की जाती है कि :-

आदेश



तन ग्राम सलेदीपुरा पं.हं. नीमडा तहसील जयपुर
अपस्थित कृषि भूमि जं.नं. 15, 16, 32, 36, 38
39 रकबा 6.11 वादीगण व प्रतिवादिता सं. 1 ता 4
के मूलक पिता गोविन्दराम पि. हीरा के स्थान
पर गोविन्दराम पि. मोराराम द्वारा किया जाकर
वादीगण एवं प्रतिवादिता सं. 1 ता 4 के मूलक
पिता गोविन्दराम के नाम उक्त ख.नं. में
दर्ज हितमा 1/2 का वादीगण को जानेदार
कार्यकार जोड़ित किया जाना है तथा उक्त
1/2 हितमा से मूलक गोविन्दराम पि. हीरा
का नाम हजक किया जाना है। संबंधित बैंक
का No dues प्रमाण पर पेश होने पर उक्त
गुप्तक राजस्थान रेकार्ड में अमल करामद हो।
पुनरावली कुमल कुमार लोडर नम्बर से कम
हो तथा बाड तहसील वाफिल फरार हो। विधि
मजमे आम सुनाया गया।

19/6/21
भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीब्य शाख, RAS

उनवान

..... ① लाडूगाम * बनाम ① भागू देवी *

दावा बाबत घोषणा व दुस्तरी रिकार्ड

मुकदमा नम्बर :- 54/2018

निर्णय दिनांक :- 19/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीब्य शाख, RAS व हाजिरी

..... मिनजानिब मुददई रुबरु श्री रामेशलाल तेतवाल


..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तब ग्राम सलेदीपुरा प.ह. नीमेटा तहसील खण्डेला अख्तियार कृषि भूमि
ख. नं. 15, 16, 32, 36, 38, 39 एका 6.11 हे. बारीगण व प्रतिबादिया व.
1 ता 4 के मूतल पिता गोविन्दगाम के नाम पि. हीरा के ल्यल्ल पर गोविन्द-
गाम पि. मोटागाम दुस्त किया जाऊ बारीगण एवं प्रतिबादिया सं. 1 ता 4
के मूतल पिता गोविन्दगाम के नाम उन्त ख. नं. में दर्ज हिल्ला 1/2 का
बारीगण को खातेमाए काश्तकाए घोषित किया जाता हे तथा उन्त 1/2 हिस्सा
ते मूतल गोविन्दगाम पि. हीरा *

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 19/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




भागीब्य शाख
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक खण्डेला (सीकर)
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

* ② वनवारीलाल पुत्रगण गोविन्दराम

जाति जाट निवासी दाणी गिजोईया की तन ग्राम सलेदीपुटा
(नीमैडा) तहसील छंडेरा जिला सीकर (राज.)

— वादीगण

विषय

* ① घमरी देवी

③ लंतोष देवी

④ मंजू देवी

पुत्रीयां गोविन्दराम जाति जाट निवासी दाणी गिजोईया की
तन ग्राम सलेदीपुटा (नीमैडा) तहसील छंडेरा जिला सीकर
राज.

⑤ भूमिधारी तहसीलया छंडेरा जिला सीकर।

⑥ मेनेजर सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा-त्रीमाघोपुर।

— प्रतिवादीगण

* का नाम हजफ किया जाता हैं। संबंधित बैंक का No dyes
प्रमाण पत्र पेश होने पर उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में
अमल दतामर हो।



19/6/18
जासीया शाखा
(राज.)
सहायक कलक्टर
(आर.डी.ओ.) सफापुर